

भारतीय गोर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26 अप्रैल 2022



FZ 674831

(प्रारूप अ के अनुसार शब्द पत्र))

इस हारिशंकर उपाध्याय एवं डॉ इयाम शंकर उपाध्याय क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक आचार्य सदाशिव तूरजाकली सामाजिक एवं तकनीकी विकास समिति और विद्यार्थीगण, प्रतापगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी आचार्य सदाशिव कॉलेज ऑफ कार्मसी खरहर सिपाहमहेशी, प्रतापगढ़ नगरक डिस्ट्रीक्ट इन कार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रतीतिवाचित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी ग्राम-खरहर, तहसील-रानीगंज, जनपद-प्रतापगढ़ में गाठा संख्या 421 मि0,424मि0, 423मि0, एवं 430मि0 रकमा क्रमशः 0.2360हे0,0.4300हे0,0.2670हे0 एवं 0.2150हे0 देनामे से बोता है तथा गाठा सं0 430,429,421मा एवं 424 रकमा क्रमशः 0.5060हे0, 0.2070हे0, 0.0470हे0 एवं 0.0520हे0 लीज पर है (कुल रकमा 1.9600 हे0) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार को कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि किवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पहुंच पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या सं0 430,429,421मा एवं 424 रकमा क्रमशः 0.5060हे0,0.2070हे0,0.0470हे0 एवं 0.0520हे0 (कुल रकमा 0.8120 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिस्ट्रीक्ट इन कार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 28/08/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिस्ट्रीक्ट कार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नगरों के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर रोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण द्वारा संचालन किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३०३० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/टिश्विद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती रोसाइटी/द्ररट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व का लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अमिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होगें।

ह०सचिव

ह० अध्यक्ष

